न्यायालय, अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा (गोड्डा)

आर0ई0आर0 केश नं0 ~~173~~ 132/16-17

दुखु महतो **बनाम्** अर्जुन प्रसाद यादव

-:आदेश:-

आवेदक दुखु महतो, पे0-स्व0 गंगु महतो, साकिन-बलिया कुर्मीकित्ता, थाना-महागामा, जिला-गोड्डा के आवेदन पर मौजा-गनसागर नं0-693, जमावंदी सं0-03, दाग सं0-168, रकवा-00-03-10 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में सलग्न कागजात का अवलोकन किये।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि मौजा- गनसागर नं0-693, जमावंदी सं0-03, दाग सं0-168, रकवा-00-03-10 धूर जमीन गत् सर्वे खतियान में जमावंदी रैयत गजाधर महतो एवं सुबान महतो के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि को विपक्षी अर्जुन प्रसाद यादव के द्वारा अवैध दखल कर लिया गया है, जबकि विपक्षी पूर्णतः बाहरी व्यक्ति है एवं दुसरे जाति से संबंधित है। विपक्षी का जमावंदी रैयत से कोई संबंध नही है तथा बाहरी व्यक्ति है। विपक्षी द्वारा उक्त दाग की जमीन पर अवैध कब्जा है। विपक्षी बिहार विशेषाधिकृत व्यक्ति वास भूमि अंतर्गत पर्चा प्राप्त कर उक्त भूमि अपने नाम से कर लिये है। अतः उक्त वासगित पर्चा को रद्द करते हुए उन्हे 00-03-10 धूर भूमि से उच्छेद किया जाय। अन्त में आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा विपक्षी को विवादित भूमि से उच्छेद करने का अनुरोध करते है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्त का कहना है कि मौजा-गनसागर नं0-693, जमावंदी सं0-03, दाग सं0-168 के अतर्गत रकवा-00-03-10 धूर जमीन पर मकान बना हुआ है। उक्त जमीन में से तीन कट्ठा जमीन यशोदा देवी, जो विपक्षी की पत्नी है को Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act 1947 के तहत् प्राप्त हुआ है। शेष 00-00-10 धूर भूमि जो महानन्द महतो, पिता-स्व0 झगरू महतो जो जमावंदी रैयत के वंशज है के द्वारा विपक्षी को 01.11.2003 शपथ पत्र बनाकर रहने हेतु दिया गया है। जिस भूमि पर आवेदक का दावा है वह गजाधर महतो के पुत्र लच्छू महतो के हिस्से की भूमि है। लच्छू महतो के जीवन काल से ही विपक्षी का मकान बना हुआ है। विपक्षी वासगीत पर्चाधारी रैयत है। अतः संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा-20 एवं 42 लागू नही होता है।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सूनने एवं अभिलेख में संलग्न कागजात के अवलोकन से प्रतीत होता है कि विवादित भूमि विगत सर्वे खतियान में गजाधर महतो वल्द भगन महतो एवं सुबान महतो वल्द भवानी महतो के नाम से दर्ज है। श्रीमति यशोदा देवी, पति-अर्जुन प्रसाद यादव के आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, महागामा के द्वारा मौजा-गनसागर नं0-693, जमावंदी सं0-03, दाग सं0-168, कुल रकवा-05-13-18 धूर में से आंशिक रकवा 03 कट्ठा भूमि, स्व0 लच्छू महतो, पिता-गजाधर महतो के सहमति से Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act 1947 के तहत् पर्चा दिनांक-11.

05.1991 को दिया गया है, जबकि आवेदक के पिता एवं दादा के हिस्से में कितनी भू[illegible] यह स्पष्ट नही हो पाता है। उक्त अधिनियम के धारा–15 के अनुसार If a transter of [illegible] holding or any portion thereof is made by a privileged tenant in contraventio[illegible] of the provisions of sec. 9 and if a transferee takes possession of the holding or any portion thereof in pursuance of such transfer the collector may, of his own motion or on an application made in that behalf, after recording an order in writing eject the transferee from the transferred property;

उपरोक्त परिपेक्ष्य में विपक्षी को विवादित भूमि के तीन कट्ठा से उच्छेद करना वर्तमान प्रकिया के तहत् उचित प्रतीत नही होता है। शेष 10 धूर भुमि जो ऐजमाल किस्म की भूमि होती है तथा रास्ता के रूप में जिसका प्रयोग किया जाता है पर विपक्षी का कब्जा संथाल परगाना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 के प्रावधानो के विरूद्ध है। अतः संथाल परगाना काश्तकारी अधिनियम 1949 के धारा–20 एवं 42 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए विवादित भूमि मौजा–गनसागर नं0–693, जमावंदी सं0–03, दाग सं0–168, रकवा– 10 धूर जमीन से विपक्षी को उच्छेद किया जाता है। अंचल अधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि आवेदक दुखु महतो, पे0–स्व0 गंगु महतो, ग्राम–बलिया कुर्मीकित्ता को 10 धूर भूमि पर आदेश प्राप्ति के एक माह के अंदर दखल दिलाना सुनिश्चित करें।

लेखापित

(sd/-) 16/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी
महागामा।

(sd/-) 16/8/18

अनुमंडल पदाधिकारी,
महागामा।

17-12-18 अभिलेख उपस्थापित।
प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, गोड्डा के प० पत्रांक 324 विधि दिनांक 07.12.18 के द्वारा उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय के आर० एम० ए० नं० 46/18-19 के क्रम में अभिलेख की मांग की गई है।
अत: अभिलेख भेजें।

(sd/-) 17.12.18
अनु० पदा०
महागामा

Digitally signed by ALOK WARAN KESHRI
Date: 2025.01.03 17:06:09 +05:30
Location: 192.168.1.51